



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

12 कार्तिक , 1943 (श०)

संख्या-555 राँची, बुधवार,

3 नवंबर, 2021 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

2 नवम्बर, 2021

संख्या-एल०जी०-11/2017-78--लेज० झारखंड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर माननीय राज्यपाल दिनांक-28/10/2021 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2021 (झारखण्ड अधिनियम संख्या-11, 2021)

वित्तीय वर्ष, 2021-22 से 2025-26 हेतु राज्यों के लिये राजकोषीय संचय की भारत सरकार की नीति के अनुसरण में झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2007 (वर्ष 2007 का अधिनियम-7) में संशोधन हेतु एक अधिनियम ।

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में झारखण्ड राज्य के विधान मंडल द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :-

- (i) यह अधिनियम झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2021 कहा जायेगा।
- (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
- (iii) यह राजकीय गजट में अधिसूचित होने की तिथि से प्रभावी होगा।

2. झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2007 (झारखण्ड अधिनियम, 07, 2007) की धारा 5(1)(ख) का प्रतिस्थापन करना।

- (i) झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2007 की धारा 5(1)(ख) को निम्न रूप से प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा :-

"वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटे को अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4 प्रतिशत तक, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 3.5 प्रतिशत तक तथा वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 के लिए 3 प्रतिशत तक सीमित रखना।"

वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटे को अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अतिरिक्त 0.50 प्रतिशत तक विद्युत प्रक्षेत्र में सुधार की शर्तों के साथ सीमित रखना।

जी०एस०टी० कम्पेनसेशन (क्षतिपूर्ति) के बदले ऋण आहरण के विकल्प 1 एवं पूँजीगत व्यय के लिए राज्य को विशेष सहायता स्कीम अन्तर्गत प्राप्त ऋण वित्तीय वर्ष 2021-22 में उपरोक्त शर्तों के परे होंगे।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

मुकुलेश चन्द्र नारायण,
प्रभारी प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची।

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

2 नवम्बर, 2021

संख्या-एल०जी०-02/2012-79--लेज० झारखण्ड विधान मंडल द्वारा यथापारित और माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक-28/10/2021 को अनुमत झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2021 का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके

द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारत का संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

THE JHARKHAND FISCAL RESPONSIBILITY AND BUDGET MANAGEMENT (AMENDMENT) ACT, 2021

(Jharkhand Act, 11, 2021)

An Act to amend the Jharkhand Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2007 (Act 07, 2007) in pursuance of the Government of India's policy on State's Fiscal Consolidation for the financial years of 2021-22 to 2025-26

Be it enacted by the Legislature of the State of Jharkhand in the Seventy Second year of the Republic of India as follows :-

1. Short title, extent and commencement:-
 - (i) This Act would be called the Jharkhand Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Act, 2021.
 - (ii) It shall extend to the whole of the State of Jharkhand.
 - (iii) It shall come into force from the date of the notification in the official Gazette.
2. Amendment in Section 5(1)(b) of the Jharkhand Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2007.
 - (i) Section 5(1)(b) of the Act shall be substituted as follows :-

“Reduce fiscal deficit to 4% (Four Percent) for the fiscal year 2021-22, 3.50% (Three and a half Percent) for fiscal year 2022-23 and 3% (Three Percent) for the fiscal years 2023-24, 2024-25 and 2025-26 of the estimated Gross State Domestic Product.”

Reduce fiscal deficit by an additional 0.50(Half Percent) Percent of the estimated Gross State Domestic Product for the Financial year 2021-22 to 2024-25 with the condition of performance in Power Sector.

The borrowing under option 1 of GST compensation and the borrowing under Scheme for Special Assistance to States for Capital Expenditure will be beyond the purview of the above stipulations for the Financial Year, 2021-22.

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

मुकुलेश चन्द्र नारायण,
प्रभारी प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची।
